

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-एफ.10(20)आयु./2015

जयपुर दिनांक : 12/7/16

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2016 के द्वारा आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों का विज्ञप्ति संख्या 4/2013 के अनुक्रम में आरक्षित सूची से नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी कर दिनांक 30.06.2016 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे एवं उक्त नियत तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया था, अभ्यर्थी श्री मनमोहन शर्मा ने प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वह स्वास्थ्य व पारिवारिक कारणों से नियत तिथि तक कार्यग्रहण नहीं कर सका था नियुक्त पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की अनुमति चाहे जाने पर निर्देशानुसार श्री मनमोहन शर्मा को दिनांक 15.07.2016 तक आवश्यक रूप से नियुक्त पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्री मनमोहन शर्मा का होगा।



(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कूल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. श्री मनमोहन शर्मा पुत्र बाबू लाल शर्मा, निवासी दिवराला तह. श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
8. रक्षित पत्रावली।



(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव